

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी—श्री जगदीश सिंह आशिया, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन संख्या 120/2024

प्रार्थीगण

बनाम

विप्रार्थीगण

1. रावताराम पुत्र सोनाराम
 2. देदाराम पुत्र सोनाराम
 3. धनाराम पुत्र सोनाराम
 4. हड्डुमानराम पुत्र सोनाराम
 5. देवाराम पुत्र भूराराम
 6. प्रभुराम पुत्र भूराराम
 7. केहराराम पुत्र भूराराम
 8. वरजू पत्नि भैराराम
 9. खेताराम पुत्र भैराराम
- जातियान जाट निवासी
जशनाथ नगर तहसील
सिणधरी जिला बालोतरा

1. वनाराम पुत्र दलाराम
2. पारूदेवी पत्नि विशनाराम
3. रामूदेवी पुत्री चैनाराम
4. रामाराम पुत्र विशनाराम
5. रावताराम पुत्र विशनाराम
6. इमियोदेवी पत्नि नवलाराम
7. खेमाराम पुत्र रतनाराम
8. चेतन चौधरी पुत्र नवलाराम
9. पूनमाराम पुत्र जेहाराम
10. मीरों पत्नि रतनाराम
11. राणाराम पुत्र रतनाराम
12. लुम्बाराम पुत्र रतनाराम
13. हड्डुमानराम पुत्र जेहाराम
14. बाबूराम पुत्र आसूराम
15. केसाराम पुत्र आसूराम
16. चिमनाराम पुत्र आसूराम
17. धरमाराम पुत्र आसूराम
18. प्रभूराम पुत्र हरचन्द्रराम
19. अखूदेवी पत्नि हरचन्द्रराम
20. अण्ठी पत्नि दलाराम
21. कवराराम पुत्र दलाराम
22. दीपाराम पुत्र दलाराम
23. कालूराम पुत्र शेराराम
24. भोमाराम दत्तक पुत्र
मुकनाराम
25. मुकनाराम पुत्र शिवजीराम
26. अणदाराम पुत्र दलाराम

27. कैहराराम पुत्र भूराराम
28. खेताराम पुत्र भैराराम
29. देदाराम पुत्र सोनाराम
30. देवाराम पुत्र भूराराम
31. धनाराम पुत्र सोनाराम
32. प्रभुराम पुत्र भूराराम
33. वरजू पत्नि भैराराम
34. हड्डुमानराम पुत्र सोनाराम
35. आईदानराम पुत्र सुखाराम
36. उमाराम पुत्र मेघाराम
37. चौलाराम पुत्र सुखाराम
38. झीमो पुत्री सुखाराम
39. बाबुराम पुत्र सुखाराम
40. गिरधारीराम पुत्र पूनमाराम
41. नेनाराम पुत्र पूनमाराम
42. बाबूराम पुत्र पूनमाराम
43. भंवराराम पुत्र पूनमाराम
44. रावताराम पुत्र सोनाराम
45. शंकराराम पुत्र पूनमाराम
46. धर्मराम पुत्र सोनाराम
47. खेताराम पुत्र दुर्गाराम
48. गंगादेवी पुत्री दुर्गाराम
49. चोलाराम पुत्र दुर्गाराम
50. दीपाराम पुत्र दुर्गाराम
51. भीखादेवी पुत्री दुर्गाराम
52. रूपोदेवी पत्नि दुर्गाराम
53. धनाराम पुत्र चुतराराम
54. चूनाराम पुत्र गोमाराम
55. जोगाराम पुत्र गोमाराम
56. हीराराम पुत्र गोमाराम
57. नगाराम पुत्र पेमाराम

58. जुगताराम पुत्र डालूराम
जातिगान जाट निवासी जशनाथ
नगर तहसील सिणधरी जिला
बालोतरा
59. सरपंच ग्राम पंचायत बिलारसर
60. तहसीलदार सिणधरी

**राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम
1956 (वास्ते-विवादित भूमि की करने नेखमबन्दी बाबत)**

उपस्थिति-

1. श्री. रामजीवन विश्‍नोई अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।
2. विप्रार्थीगण एकतरफा।

आदेश

दिनांक 25.09.2024

1. संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार हैं, कि प्रार्थीगण की सहखातेदारी का खेत तहसील सिणधरी पटवार मण्डल कमठाई के ग्राम जशनाथ नगर के खेत खसरा संख्या 11, 12, 23, 29, 8 रकबा क्रमश 0.0647 हैक्टेयर, 5.9381 हैक्टेयर, 1.7960 हैक्टेयर, 1.5614 हैक्टेयर, 5.5255 हैक्टेयर कुल रकबा 14.8857 हैक्टेयर खातेदारी का अवस्थित है। प्रार्थीगण के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढा आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माठे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा तहसील सिणधरी पटवार मण्डल कमठाई के ग्राम जशनाथ नगर के खेत खसरा संख्या 11, 12, 23, 29, 8 रकबा क्रमश 0.0647 हैक्टेयर, 5.9381 हैक्टेयर, 1.7960 हैक्टेयर, 1.5614 हैक्टेयर, 5.5255 हैक्टेयर कुल रकबा 14.8857 हैक्टेयर भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया गया है।

प्राथीगण का आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्राथीगण को ज़रिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्राथीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्राथीगण को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी हाजिर नहीं होने पर उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

3. वकील प्राथीगण की बहस सुनी गई। वकील प्राथीगण ने आवेदन के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया, कि प्राथीगण के खेत तहसील सिणधरी पटवार मण्डल कमठाई ग्राम जशनाथ नगर के खेत खसरा संख्या 11, 12, 23, 29, 8 रकबा क्रमश 0.0647 हैक्टेयर, 5.9381 हैक्टेयर, 1.7960 हैक्टेयर, 1.5614 हैक्टेयर, 5.5255 हैक्टेयर कुल रकबा 14.8857 हैक्टेयर भूमि आई हुई है। प्राथीगण के उपरोक्त खेत विप्राथीगण के खेतों के सेढा सेढा आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माठे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओं को लेकर पक्षकारान में तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्राथीगण द्वारा तहसील सिणधरी पटवार मण्डल कमठाई ग्राम जशनाथ नगर के खेत खसरा संख्या 11, 12, 23, 29, 8 रकबा क्रमश 0.0647 हैक्टेयर, 5.9381 हैक्टेयर, 1.7960 हैक्टेयर, 5.5255 हैक्टेयर कुल रकबा 14.8857 हैक्टेयर भूमि की पक्की नेखमबंदी के आदेश फरमावे जावे।

4. हमने वकील प्राथीगण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड व संलग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यों का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया गया। जिसमें पाया गया कि तहसील सिणधरी पटवार मण्डल कमठाई ग्राम जशनाथ नगर के खेत खसरा संख्या 11, 12, 23, 29, 8 रकबा क्रमश 0.0647 हैक्टेयर, 5.9381 हैक्टेयर, 1.7960 हैक्टेयर, 1.5614 हैक्टेयर, 5.5255 हैक्टेयर कुल रकबा 14.8857 हैक्टेयर भूमि प्राथीगण की खातेदारी में दर्ज है, जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी मय नक्शा खतौनी संवत् 2076-2079 का अवलोकन करने से स्पष्ट है, इस प्रकार प्राथीगण विवादित भूमि का रिकार्ड सहखातेदार है, और रिकार्ड खातेदार अपनी भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने के लिए स्वतंत्र है, जिसके प्राथीगण हकदार भी है एवं विप्राथीगण बावजूद रजिस्टर्ड नोटिस तामीली के हाजिर नहीं हुए है, इससे प्रतीत होता है कि प्राथीगण के आवेदन को स्वीकार करने की उनकी ओर से मौन स्वीकृति है। यदि कोई आपत्ति होती, तो न्यायालय में उपस्थित होकर उजर एतराज पेश करते। लेकिन ऐसा विप्राथीगण की ओर से नहीं किया गया। ऐसी सूरत में प्राथीगण का आवेदन स्वीकार योग्य है।

5. लिहाजा, प्राथीगण का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर तहसील सिणधरी पटवार मण्डल कमठाई के ग्राम जशनाथ नगर में खेत खसरा संख्या 11, 12, 23, 29, 8 रकबा क्रमश 0.0647 हैक्टेयर, 5.9381 हैक्टेयर, 1.7960 हैक्टेयर, 1.5614 हैक्टेयर, 5.5255 हैक्टेयर कुल रकबा 14.

.57 हैक्टेयर भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सिणधरी को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है. उक्त कार्यवाही प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण को पूर्व में जरिये नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावे। कमिश्नर फीस 1000/प्रार्थी मौके पर अदा करेगा। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल मिसल हो।

उपखण्ड अधिकारी, सिणधरी
आदेश आज दिनांक 25.09.2024 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में मुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, सिणधरी